प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

आदेश सुरक्षित किया गया :28.07.2025

आदेश पारित किया गयाः03.09.2025

दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं 27/2023

1 – दिलीप कुमार पिता स्वर्गीय टिकमदास हिंदुजा, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी आशियाना अपार्टमेंट, 104, न्यू शांति नगर, डॉ. पटेल हाउस के बगल में, रायपुर, तहसील और जिला रायपुर (सी.जी.) (वादी संख्या 2 से 6)

2 – कन्हैया,पिता स्वर्गीय टिकमदास हिंदुजा , उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी मकान सं 447, प्रियदर्शनी कॉलोनी सोसाइटी कार्यालय के बगल में, तहसील और जिला – रायपुर (सी.जी.)

3–श्रीमती. ममता हिंदुजा , पति स्वर्गीय स्वर्गीय लक्ष्मण दास हिंदुजा,54 वर्ष, निवासी मीरा दातार से आगे, सेक्टर 1, डॉ. देशपांडे हाउस के बगल में, गीतांजलि नगर, रायपुर, तहसील एवं जिला – रायपुर (सी.जी.)

4 – संजय कुमार, पिता स्वर्गीय लक्ष्मण दास हिंदुजा उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी मीरा दातार के आगे, सेक्टर 1, डॉ. देशपांडेय हाउस के बगल में, गीतांजलि नगर, रायपुर, तहसील और जिला – रायपुर (सी.जी.)

5 – विक्की पिता स्वर्गीय लक्ष्मण दास हिंदुजा 27 वर्ष , मीरा दातार सेक्टर 1, डॉ. देशपांडेय हाउस के बगल में, गीतांजलि नगर, रायपुर, तहसील और जिला – रायपुर (सी.जी.)

---आवेदक

बनाम

1 – मोहम्मद.शकील खान पिता मोहम्मदकामिल खान उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी हाई 304, दिनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर, तहसील और जिला रायपुर (छ.ग.) (प्रतिवादी क्रमांक 1–4)

2 – श्रीमती केशरी बेगम पति श्री मुख्तार अहमद खान, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी क्वार्टर नंबर 222–ए, बी.एम.वाई. चरोदा, तहसील पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

3 – गुरदीप सिंह पिता श्री केशरी सिंह निवासी चरोदा, तहसील पाटन, जिला–दुर्ग (सी. जी.)

4 – छत्तीसगढ़ राज्य जिला कलेक्टर के द्वारा , दुर्ग (सी. जी.)

----उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक हेतु :श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता

राज्य हेतु : सुश्री एम. आशा, पैनल अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :सं 1 तथा 2:श्री खुलेश साहू, अधिवक्ता

(माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश)

सीएवी आदेश

1. आवेदकों ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत यह पुनरीक्षण याचिका दायर की है, जिसमें माननीय छठे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़) द्वारा सिविल वाद संख्या 65-ए/2014, जिसका शीर्षक केवलराम और अन्य बनाम मोहम्मद शकील खान और अन्य है, में दिनांक 04.11.2022 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वादी संख्या 1, केवलराम की 24.12.2018 को मृत्यु के कारण और दिनांक 19.11.2019 के आदेश द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद उनके विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए कदम न उठाने के कारण वाद समाप्त हो गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादियों ने सक्षम न्यायालय के समक्ष दीवानी वाद संख्या 129-ए/2014 दायर किया, जिसमें पटवारी हल्का संख्या 2, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (सी.जी.) में स्थित संपत्ति के संबंध में स्वामित्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी, जिसमें खसरा संख्या 463/2 और 463/3 का भाग शामिल है, जिसका क्षेत्रफल 10,400 वर्ग फुट (0.097 हेक्टेयर) है, और जिसे प्लॉट संख्या 13, 15 और 16 के रूप में पहचाना गया है।वाद कि संपत्ति मूल रूप से 20.12.1962 को स्वर्गीय इदानदास और वादी संख्या 1, केवलराम द्वारा कृष्ण कुमार सिलहट से पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से खरीदी गई थी।क्रय के बाद, संपत्ति का उत्परिवर्तन किया गया और खसरा संख्या 463/34 के तहत स्वर्गीय इदानदास और वादी संख्या 1 के नाम पर ऋण पुस्तिका जारी की गई।वादीगण का वंश स्वर्गीय गोहिमाल से शुरू होता है, जिनके चार पुत्र थे: तोलुमल, इदंदास, दयालदास और टिकमदास। दयालदास वादी संख्या 1, केवलराम के पिता थे।टिकमदास के तीन पुत्र थे: दिलीप कुमार (वादी संख्या 2), कन्हैया (वादी संख्या 3) और लक्ष्मणदास।अब दिवंगत लक्ष्मणदास, वादी संख्या 4 (ममता हिंदुजा) के पति और वादी संख्या 5 (संजय कुमार) और 6 (विक्की) के पिता थे। आरोप यह है कि राजस्व अभिलेखों में विसंगतियों को दूर करने के लिए, विशेष रूप से इस तथ्य को कि उत्परिवर्तन में केवल खसरा संख्या 463/34 का उल्लेख था जबकि विक्रय विलेख में खसरा संख्या 463/2 और 463/3 का उल्लेख था, दिवंगत लक्ष्मणदास ने मूल विक्रय विलेख और ऋण पुस्तिका प्रतिवादी संख्या 3 को सौंप दी, जिसके राजस्व अधिकारियों से घनिष्ठ संबंध थे।इसके बाद, यह दावा किया गया कि निःसंतान

इदंदास की मृत्यु के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 और 3 ने धोखाधड़ी से संपत्ति का नाम बदलकर केवल स्वर्गीय लक्ष्मणदास के नाम कर दिया, उन्हें इदंदास का एकमात्र वैध उत्तराधिकारी बताकर (संशोधन पंजी संख्या 167 दिनांक 17.04.1994 के अनुसार)।इसके अतिरिक्त, मूल विक्रय विलेख में कथित तौर पर 03.05.1994 को एक जाली संशोधन विलेख निष्पादित किया गया और प्रतिवादी संख्या 1 और 3 के पक्ष में दिनांक 29.11.1994 को एक जाली पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई थी ।कथित जाली पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग करते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 और 3 ने 30.11.1994 को प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में एक पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित किया, जिसने बाद में आक्षेपित संपत्ति को अपने नाम पर पंजीकृत करा लिया। जब प्रतिवादी संख्या 2 ने संपत्ति पर निर्माण कार्य शुरू किया, तो वादियों ने आपत्ति जताई और वर्ष 2011–2012 के लिए राजस्व मामला संख्या 62 बी/121 शुरू किया।राजस्व प्राधिकरण ने वादीगण को सक्षम दीवानी न्यायालय में न्याय मांगने का निर्देश दिया, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान दीवानी वाद दायर किया गया। वाद में वादीगण ने यह घोषणा करने की मांग की है कि वे आक्षेपित संपत्ति के वैध स्वामी और कब्जेदार हैं। उन्होंने यह घोषणा करने की भी मांग की कि 29.11.1994 की पावर ऑफ अटॉर्नी और उसके बाद 30.11.1994 की बिक्री विलेख अवैध, जाली और शून्य हैं।वादी ने आगे यह भी निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर किए गए भूमि हस्तांतरण को अमान्य घोषित किया जाए और प्रतिवादियों को वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. प्रतिवादी संख्या 1 और 2 उपस्थित हुए और लिखित बयान दाखिल करके वाद का विरोध किया।उन्होंने आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि वादी संख्या 1 सभी लेन–देन से अवगत था।उन्होंने दावा किया कि प्रतिवादी संख्या 2 1994 से कब्जे में था, और वाद समय सीमा के कारण खारिज हो चुका था और केवल उत्पीड़न के उद्देश्य से दायर किया गया था।उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उचित न्यायालय शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था और वाद को खारिज करने की प्रार्थना की।वाद के लंबित रहने के दौरान, वादी संख्या 1, केवलराम का 24.12.2018 को निधन हो गया था।वादी संख्या 2 से 4 ने सीपीसी के आदेश 22 नियम 5 के तहत आवेदन दायर कर मृतक वादी संख्या 1 द्वारा कथित रूप से उनके पक्ष में निष्पादित दिनांक 19.10.2018 की वसीयत के आधार पर प्रतिस्थापन की मांग की गई।
इस आवेदन का सभी प्रतिवादियों ने विरोध किया था।विचारण न्यायालय ने वसीयत की प्रामाणिकता और आवेदकों की कानूनी स्थिति का निर्धारण करने के लिए आदेश 22 नियम 5 सीपीसी के तहत जांच की। न्यायालय ने कई साक्षीयों, दिलीप कुमार हिंदुजा (पीडब्लू–1), अशोक नैनवानी (पीडब्लू–2), भरत रमानी (पीडब्लू–3), मोहम्मद शकील खान (डी डब्लू––1) और गुरदीप सिंह (डी डब्लू–3) के बयान दर्ज किए। हालांकि, साक्ष्यों के बावजूद, विद्वान विचारण न्यायालय ने सीपीसी के आदेश 22 नियम 5 के तहत विधिक आवश्यकताओं को ठीक से समझे बिना वाद को समाप्त मानकर खारिज कर दिया। वादी का तर्क है कि आक्षेपित आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण, मनमाना और विधि के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है, और इसलिए इसे अपास्त किये जाने योग्य है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित छठे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा सिविल वाद संख्या 65–ए/2014 में दिनांक 04.11.2022 को पारित आदेश, जिसका शीर्षक "केवलराम और अन्य बनाम मोहम्मदशकील खान और अन्य" है, पूरी तरह से अवैध, त्रुटिपूर्ण तथा विधि के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है। विचारण न्यायालय ने वाद को समाप्त मानकर खारिज करने में न केवल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया है, बल्कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 22 नियम 5 के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहकर स्वयं को गुमराह भी किया है।विद्वत विचारण न्यायालय ने आदेश 22 नियम 5 सीपीसी के तहत विधिक प्रतिनिधियों के निर्धारण को नियंत्रित करने वाले मूल सिद्धांत को ठीक से नहीं समझा। इस प्रावधान के तहत की जाने वाली जांच का उद्देश्य केवल यह पता लगाना है कि लंबित कार्यवाही में मृतक पक्ष की संपत्ति का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, न कि संपत्ति पर अंतिम स्वामित्व या हक का निर्णय करना।हालांकि, वर्तमान मामले में, विचारण न्यायालय ने इस मूलभूत विधिक अंतर को नजरअंदाज कर दिया और उन आधारों पर वाद को खारिज कर दिया जो इस तरह की जांच के दायरे में कभी नहीं आते थे।यह निवेदन किया जाता है कि विचारण न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जलादी सुगुणा (मृतक) बनाम सत्य साई सेंट्रल न्यास और अन्य (2008) 8 एससीसी 521 में दिए गए बाध्यकारी सिद्धांतों की पूरी तरह से अनदेखी की है और उन्हें लागू करने में विफल रही है, जिसमें यह यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब तक न्यायालय यह निर्धारित नहीं कर लेता है कि विधिक प्रतिनिधि कौन है, मृतक की संपत्ति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, और इस प्रश्न पर निर्णय वाद की सुनवाई से पहले होना चाहिए।आक्षेपित आदेश से यह भी स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय ने मृतक वादी संख्या 1 की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने के अपने दावे के समर्थन में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार नहीं किया और न ही उन पर गौर किया। न्यायालय द्वारा दिया गया यह तर्क कि "वसीयत प्रस्तुत करना और उसकी जांच करना आवश्यक नहीं है" कानून के तहत उसे प्राप्त अधिकार क्षेत्र का पूर्णतः उल्लंघन दर्शाता है।यह तर्क विधि में अस्थिर है तथा मन के गैर–अनुप्रयोग का संकेत देता है।वास्तव में,आवेदकों ने 19.10.2018 की विधिवत निष्पादित वसीयत प्रस्तुत की थी, और विचारण न्यायालय का यह कर्तव्य था कि वह ऐसी वसीयत की सत्यता की जांच करे, विशेषकर तब जब सीपीसी के आदेश 22 नियम 5 के तहत जांच पहले ही शुरू हो चुकी थी।इसके अलावा, विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रही कि भले ही वसीयत को अप्रमाणित मान लिया जाए, फिर भी अन्य वादी, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत प्रथम श्रेणी के कानूनी वारिस और सहदायिक हैं, मृतक वादी संख्या 1 की संपत्ति के उत्तराधिकारी बनने के हकदार हैं।शेष वादियों के सहदायिक अधिकारों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है।इसके अतिरिक्त, विचारण न्यायालय ने इस स्थापित विधिक स्थिति को ध्यान में नहीं रखा जाता है कि जहां एक या अधिक विधिक प्रतिनिधि पहले से ही दर्ज हैं, वहां मुकदमा पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है।इस सिद्धांत की पुष्टि माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, देवास बनाम सागरमल और अन्य के मामले में की है, जो 2015 (2) एमपीएलजे 274 में प्रकाशित हुआ है।चौंकाने वाली बात यह है कि विचारण न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 5 के तहत की गई जांच के संबंध में एक भी तर्क दिए बिना विवादित आदेश पारित कर दिया। कई गवाहों, पीडब्ल्यू–1, पीडब्ल्यू–2, पीडब्ल्यू–3 और डीडब्ल्यू के बयान दर्ज किए गए, लेकिन न्यायालय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उनमें से किसी का भी मूल्यांकन या विश्लेषण करने में विफल रही।इस प्रकार का लापरवाही भरा और उपेक्षापूर्ण रवैया न्यायिक जांच के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देता है। इस प्रकार आक्षेपित आदेश में विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है और यह न्याय का घोर उल्लंघन है।विचारण न्यायालय ने यह कहकर भी गलती की कि "कारण का अभाव होने पर वाद खारिज कर दिया जाना चाहिए," और यह कि "वसीयत के कारण एक नया कारण उत्पन्न हो गया है।"ये टिप्पणियाँ न केवल विधिक रूप से गलत हैं बल्कि वर्तमान संदर्भ में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से भी बाहर हैं।यह सर्वविदित कानून है कि प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 5 के तहत जांच में वाद के कारण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए, विशेषकर तब जब वाद पहले ही स्वीकार कर लिया गया हो और उन्नत चरण में था।न्यायालय का यह निर्णय कि वादियों को वसीयत के आधार पर नया वाद दायर करना होगा, सी.पी.सी. के आदेश 22 नियम 9(1) के सीधे विपरीत है, जो स्पष्ट रूप से आदेश 22 के तहत वाद समाप्त होने या खारिज होने के बाद उसी कारण पर नया वाद दायर करने से रोकता है।

5. यह भी बताना सुसंगत है कि आक्षेपित आदेश उस विस्तार तक विधिक रूप से शून्य है, जिस विस्तार तक यह मृतक वादी संख्या 1 के विरुद्ध, उसकी मृत्यु के बाद भी, लागू होता है।यह विधि में यह सर्वमान्य है कि किसी मृत पक्षकार के विरुद्ध पारित कोई भी आदेश, जिसका अब कोई रिकॉर्ड नहीं है और जिसका विधिवत प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता, कानून की दृष्टि में अमान्य है। माननीय विचारण न्यायालय ने "विधिक उत्तराधिकारी" और "विधिक प्रतिनिधि" की विधिक अवधारणाओं को भ्रमित कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिस्थापन आवेदन को अस्वीकार करने और वाद को समाप्त मानकर खारिज करने में वह भ्रामक साबित हुई है।सत्यानंद बनाम श्याम लाल चौहान मामले में (2018) 18 एससीसी 485 में प्रतिपादित विधि मे यहाँ भी स्पष्ट रूप से लागू होता है, जहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि प्रक्रियात्मक विधि न्याय को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं और न्यायालयों द्वारा इन्हें अनदेखा या कमजोर नहीं किया जा सकता है।वर्तमान मामले में, विचारण न्यायालय ने ठीक यही किया है, अनिवार्य प्रक्रिया को दरकिनार किया है, कानूनी प्रतिनिधित्व निर्धारित करने के अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रही है, और आवेदकों को मुकदमे को जारी रखने के अधिकार से अनुचित रूप से वंचित किया है।अंत में, विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रही कि वाद का समापन केवल प्रक्रियात्मक है, न कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन।यद्यपि यह मान भी लिया जाए (हालांकि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है), कि प्रतिस्थापन आवेदन दोषपूर्ण था या अपर्याप्त रूप से सिद्ध हुआ था, तो उचित तरीका यह होता कि वाद को सीधे खारिज करने के बजाय सुधार की अनुमति दी जाती या आगे स्पष्टीकरण मांगा जाता है। उपरोक्त प्रस्तुतियों के आलोक में, यह निवेदन किया जाता है कि विवादित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि यह गंभीर कानूनी खामियों, मनमानी और क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि से ग्रस्त है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. शुरुआत में,राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि वर्तमान दीवानी कार्यवाही के परिणाम में उनका कोई व्यक्तिगत हित नहीं है, परन्तु भूमि एवं राजस्व अभिलेखों के रखरखाव एवं अद्यतन में उनकीभूमिका के कारण वे एक आवश्यक पक्षकार हैं निजी पक्षों के बीच चल रहे स्वामित्व विवाद पर राज्य का कोई पक्ष नहीं

है।यद्यपि, यह निवेदन किया जाता है कि राजस्व अभिलेखों में सभी प्रविष्टियाँ सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा स्वामित्व निर्धारण के अधीन हैं।आगे यह निवेदन किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2 और अन्य के पक्ष में किए गए नामातंरण उस समय प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर किए गए थे, और राजस्व अधिकारियों द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया था, जहाँ तक राज्य को जानकारी है। राज्य किसी भी कथित छल को तब तक स्वीकार नहीं करता है जब तक कि वादियों द्वारा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता है।विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के संबंध में, राज्य न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वह आदेश 22 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत इसकी प्रक्रियात्मक शुद्धता और वैधता पर निर्णय ले। राज्य इस न्यायालय द्वारा पारित किसी भी निर्देश या आदेश का पालन करेगा।

7. उत्तरवादी संख्या 1 तथा 2 हेतु विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान सिविल पुनरीक्षण याचिका विधिक रूप से असमर्थनीय है, योग्यता से रहित है, तथा सीमित रूप से खारिज किए जाने के योग्य है, क्योंकि आवेदकों द्वारा मांगी गई अनुतोष इस न्यायालय के दायरे तथा अधिकार क्षेत्र से बाहर है।आवेदकों ने प्रार्थना की है कि दीवानी वाद संख्या 65–ए/2014 में पारित दिनांक 1 के आक्षेपित आदेश को अपास्त दिया जाए तथा वादी संख्या 2 से 4 को मृतक वादी संख्या 1 (केवलराम) की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाए।हालांकि, सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय उचित जांच या साक्ष्य के बिना विधिक प्रतिनिधित्व या प्रतिस्थापन विधिक वारिसों के प्रश्न का निर्णायक रूप से निर्धारण नहीं कर सकता, जो कि आदेश 22 नियम 5 सीपीसी के तहत विचारण न्यायालय के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है। इस न्यायालय के ध्यान में यह लाना महत्वपूर्ण है कि विचारण न्यायालय ने अपने तर्कपूर्ण आदेश दिनांक 19.11.2019 में, मृतक वादी संख्या 1, केवलराम के प्राकृतिक कानूनी वारिसों को पक्षकार बनाने का निर्देश पहले ही दे दिया था, जबकि उन्होंने आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के तहत दिनांक 20.03.2019 को एक आवेदन दायर कर केवल एक कथित वसीयत के आधार पर वाद को जारी रखने का अधिकार जताया था।विचारण न्यायालय से स्पष्ट और असंदिग्ध निर्देश प्राप्त होने के बावजूद, आवेदकों ने न केवल उस न्यायिक आदेश का पालन नहीं किया, बल्कि पुनरीक्षण या अपील जैसे उचित कानूनी उपायों के माध्यम से उसे चुनौती भी नहीं दी।अतः, वह आदेश अंतिम हो चुका है और आवेदकों पर बाध्यकारी है।उस बाध्यकारी निर्देश को अनदेखा करने या दरकिनार करने का उनका वर्तमान प्रयास प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग और कानून द्वारा उचित रूप से समाप्त हो चुके मुकदमे को पुनर्जीवित करने का प्रयास मात्र है। माननीय विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए पूरी तरह से न्यायसंगत ठहराया है कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत वसीयत, आदेश 22 नियम 3 सी. पी. सी. के तहत विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन हेतु एक निर्णायक आधार नहीं बना सकती है, क्योंकि वसीयत में वाद संपत्ति का उल्लेख भी नहीं है।यह महत्वपूर्ण है कि विचाराधीन वाद संपत्ति खसरा नं. 463/34 है, प्रश्न गाँव चरोदा, तहसील भिलाई–3, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में स्थित है।इसके विपरीत, वसीयत में तहसील पाटन में स्थित खसरा संख्या 463/2 का उल्लेख है। खसरा संख्या और तहसीलों का यह असंगत होना आवेदकों के दावे में एक महत्वपूर्ण और घातक खामी को उजागर करता है।यह सर्वविदित विधि है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी संपत्ति वसीयत नहीं कर सकता जो उसकी अपनी न हो।इसलिए, वसीयत, भले ही उसे असली मान लिया जाए, मुकदमे के विषय से विधिक रूप से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अप्रासंगिक है और आवेदकों को वाद चलाने का कोई अधिकार या प्राधिकार प्रदान नहीं कर सकती है।विचारण न्यायालय ने उचित रूप से ही कहा कि मृतक वादी सं 1 की संपत्ति का प्रतिनिधित्व केवल एक स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण वसीयत के आधार पर नहीं किया जा सकता है, जिसमें स्वामित्व, स्थान या वाद संपत्ति से संबंध के बारे में स्पष्टता का अभाव है।इसके बजाय, न्यायालय ने उचित रूप से निर्देश दिया कि मृतक के स्वाभाविक विधिक उत्तराधिकारियों को आदेश 22 नियम 5 सी. पी. सी. के अनिवार्य प्रावधानों के अनुसार प्रतिनिधित्व के प्रश्न की निष्पक्ष तथा पूर्ण जांच करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा यह निर्णय न केवल प्रक्रियात्मक निष्पक्षता को बरकरार रखता है, परंतु यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रतिनिधित्व पर कोई भी निर्णय असत्यापित दावों पर आधारित नहीं है।इसके अलावा, विचारण न्यायालय ने आवेदकों को लगभग तीन वर्ष में पर्याप्त अवसर दिए तथा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए 40 से अधिक विचारण की।फिर भी, वे बार–बार केवलराम के प्राकृतिक विधिक उत्तराधिकारियों को अभिलेख या जांच प्रक्रिया में सहयोग करने में विफल रहे।न्यायालय द्वारा बार–बार हस्तक्षेप करने के बावजूद उनका लगातार गैर–अनुपालन, कार्यवाही में बाधा डालने तथा विधि की उचित प्रक्रिया को विफल करने के स्पष्ट आशय को दर्शाता है।अब, आवेदकों को यह दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि न्यायालय जांच करने में विफल रहा, जबकि यह उनका अपना असहयोग था जिसने जांच को अनिर्णायक बना दिया।8. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक संख्या 1, दिलीप हिंदुजा की प्रतिपरीक्षा के दौरान, उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वसीयत में श्वेतक का उपयोग किया गया था जहां खसरा संख्या का उल्लेख किया गया था, जिससे दस्तावेज़ की वास्तविकता तथा प्रामाणिकता के बारे में गंभीर सवाल उठते हैं।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वसीयत के साथ खसरा नं. 463/2 के स्वामित्व का समर्थन करने वाला कोई शीर्षक दस्तावेज संलग्न नहीं था।ये प्रवेश, वाद की संपत्ति के संबंध में सत्यापन करने वाले साक्षीयों से पुष्टि की अनुपस्थिति के साथ, वसीयत के तहत वैध उत्तराधिकार के आवेदकों के दावे को गंभीर रूप से कमजोर करते हैं।इसके अलावा, प्रदर्श डी1 से डी8 के रूप में प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि वसीयत के अंतर्गत दावा की गई भूमि, अर्थात् खसरा संख्या 463/2 और खसरा संख्या 1009 और 1010 (ग्राम धंसुली), केवलराम की नहीं बल्कि गजानंद गणपति और मेसर्स बर्बरिक प्राइवेट लिमिटेड जैसे तीसरे पक्षों की है। यह तथ्य जिरह में भी अप्रतिबंधित रहा और इसे स्वीकृत एवं अंतिम माना जाना चाहिए।इन तथ्यों के आलोक में, निचली अदालत का यह निष्कर्ष निकालना पूरी तरह से उचित था कि आवेदकों को केवल एक संदिग्ध और स्पष्ट रूप से अप्रासंगिक वसीयत के आधार पर विधिक प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता है। प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन करने के बार–बार दिए गए अवसरों की जानबूझकर अवहेलना किए जाने के बाद न्यायालय द्वारा वाद को समाप्त करने का निर्णय भी उतना ही उचित था। आवेदकों ने बाध्यकारी न्यायिक निर्देश का पालन करने में विफल रहने के बाद, अब अनुचित आशय से इस न्यायालय में याचिका दायर की है, और ऐसी अनुतोष की मांग करते हैं जो प्रभावी रूप से विचारण न्यायालय द्वारा अपनाई गई उचित प्रक्रिया को रद्द कर देगी।इसके अलावा, जालादी सुगुना (पूर्वोक्त) पर आवेदक हेतु विद्वान अधिवक्ता द्वारा रखी गई निर्भरता पूरी तरह से गलत है।निर्णय का संबंध न्यायालयों के उस दायित्व से है जिसके तहत विवाद की स्थिति में जांच के माध्यम से प्रतिनिधित्व का निर्धारण किया जाता है।वर्तमान मामले

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में, न्यायालय ने ऐसी जाँच शुरू की, प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया, और आवेदकों द्वारा अनुपालन न करने पर ही, उचित रूप से वाद को समाप्त कर दिया। आवेदक वैध आदेशों को दरकिनार करने और मृतक के स्थान पर स्वयं को स्थापित करने के लिए इस न्यायालय के अधिकार का दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वे वसीयत में उल्लिखित संपत्ति पर अपने अधिकार या स्वामित्व को साबित नहीं कर पा रहे हैं।आवेदकों ने विचारण न्यायालय के आदेश में किसी भी प्रकार की क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि, प्रक्रियात्मक अनियमितता या विकृति का प्रमाण नहीं दिया है, जो धारा 115 सीपीसी के तहत हस्तक्षेप के लिए एकमात्र मान्य आधार हैं। इसके विपरीत, पुनरीक्षण याचिका पुनरीक्षण की आड़ में प्रतिस्थापन की मांग करने का एक छिपा हुआ प्रयास है, जो कानूनी रूप से अस्वीकार्य है और विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करने तथा उसके अधिकार को कमजोर करने के समान है। उपरोक्त तर्क के के तहत और न्याय के हित में, यह अत्यंत निवेदन है कि यह न्यायालय इस दीवानी पुनरीक्षण याचिका को यह मानते हुए खारिज कर दे कि निचली अदालत ने कानून और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का पूर्ण अनुपालन किया है और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के तहत किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा पुनरीक्षण के साथ संलग्न दस्तावेज हेतु भी अध्ययन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय मुख्य विवाद्यक यह है कि क्या विचारण न्यायालय ने वाद को समाप्त घोषित करने में अधिकार क्षेत्र और विधि की त्रुटि की है, जबकि आदेश 22 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत कार्यवाही लंबित थी और चल रही थी, जिसमें आवेदकों ने मृतक केवलराम द्वारा कथित रूप से उनके पक्ष में निष्पादित दिनांक 19.10.2018 की वसीयत के आधार पर प्रतिस्थापन की मांग की थी।संक्षिप्तता के लिए सी. पी. सी. के आदेश 22 नियम 5 को यहाँ उद्धृत किया गया हैः

5. विधिक प्रतिनिधि के संबंध में प्रश्न का निर्धारण

–जहाँ यह प्रश्न उठता हैकि क्या कोई व्यक्ति किसी मृत वादी काविधिक प्रतिनिधि है या नहींया किसी मृत प्रतिवादी का, तो ऐसे प्रश्न का निर्धारणन्यायालय द्वारा किया जाएगा:परंतु कि यदि ऐसा प्रश्नअपीलीय न्यायालय के समक्ष उठता है, तो वह न्यायालय प्रश्न का निर्धारण करने से पहलेकिसी अधीनस्थन्यायालय को प्रश्न की सुनवाई करने औरसुलेखों को साक्ष्य सहित, यदिऐसे परीक्षण में कोई दर्ज किया गया हो, अपने निष्कर्षोंऔर उनके कारणों सहित वापस करने का निर्देश दे सकता है, औरअपीलीय न्यायालय प्रश्न का निर्धारण करते समय उन्हेंध्यान में ले सकता है।"

11. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 5 का सरसरी तौर पर अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब किसी मृतक पक्ष के कानूनी प्रतिनिधि के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो न्यायालय द्वारा संक्षिप्त जांच के माध्यम से इसका निर्धारण किया जाना चाहिए।यह सुनिश्चित करने के लिए है कि वाद की कार्यवाही के दौरान मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व न हो।

12. (2003) 9 एस. सी. सी. 220 में रिपोर्ट किए गए नवल किशोर पटेल बनाम इंद्रपति देवी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः"3. आदेश 22 नियम 5 सीपीसी में प्रक्रिया का प्रावधान है जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है किमृत वादी या प्रतिवादी का विधिक प्रतिनिधि कौन है या कौन नहीं है।विधिक प्रतिनिधि, जैसा किधारा 2(11) सीपीसी में परिभाषित है, का अर्थ है वह व्यक्ति जो विधिक रूप से किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है,और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो मृत व्यक्ति की संपत्ति में हस्तक्षेप करता है,और जहां कोई पक्ष प्रतिनिधि के रूप में मुकदमा करता है या उस पर वाद किया जाता है,वह व्यक्ति जिस पर मुकदमा करने वाले या जिस पर मुकदमा किया जाता है, उसकी मृत्यु पर संपत्ति का अधिकार होता है।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आदेश 22 नियम 5 के तहत कार्यवाही का दायरा इस प्रश्न तक सीमित है किमृत वादी या प्रतिवादी की संपत्ति का प्रतिनिधित्व कौन करता है। स्पष्ट रूप से, जब तक यह प्रश्न उठाया नहीं जाता है किमृत व्यक्ति की संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन था, तब तक इसका दायरा नहीं बढ़ाया जा सकता है।स्पष्टतः, जब तक इस प्रश्न को उठाया नहीं जाता है कि मृतक की संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन था, तब तक इस पर और चर्चा नहीं की जा सकती है।इसी प्रकार, आदेश 22 नियम 10 के तहत कार्यवाही में जब कोई व्यक्ति स्वयं को संपत्ति–भागी होने का दावा करता है या ऐसा व्यक्ति जिस पर वाद की लंबितता के दौरान कोई हित सृजित या हस्तांतरित किया गया हो, वाद में पक्षकार बनने और अपने हितों की देखभाल करने के लिए न्यायालय से अनुमति मांगता है।यहां भी स्वामित्व का कोई प्रश्न हल नहीं हुआ है।इस मामले के आलोक में, हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि कोई पूर्व निर्णय लागू नहीं होता है, केवल इसलिए कि अपील के पूर्व चरण में यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए गए थे कि वीणा देवी मृतक प्रमोद कुमार की विधवा थीं। यह निष्कर्ष प्रतिनिधित्व के बारे में पूछे गए एक प्रश्न से उत्पन्न हुआ था और नियमित विवाद्यक द्वारा तय नहीं किया गया था औरअंततः मृतक की संपत्ति में उसके उत्तराधिकार का निर्धारण नहीं किया गया था।"13. जलादी सुगुना (उपरोक्त) मामले में, (2008) 8 एससीसी 521 में रिपोर्ट किया गया है,माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आदेश 22 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत जांच एक सीमित और संक्षिप्त जांच है, जो मृतक पक्ष की संपत्ति का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इस प्रश्न तक ही सीमित है, वसीयत की वैधता या प्रवर्तनीयता पर निर्णय लिए बिना।सुसंगत कंडिका यहाँ उद्धृत किए गए हैंः

"15. विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख में लाने के लिए आवेदन दाखिल करना, विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड में लाने के बराबर नहीं है।जब विधिक प्रतिनिधि आवेदन दाखिल किया जाता है, तो न्यायालय को उस पर विचार करना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि उसमें नामित विधिक प्रतिनिधियों को मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिएअभिलेख पर लाया जाना चाहिए या नहीं।न्यायालय द्वारा ऐसा निर्णय आने तक, मृतक के कानूनी प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले व्यक्तियों को मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने, वाद चलाने या बचाव करने का कोई अधिकार नहीं है।यदि विधिक प्रतिनिधि कौन है, इस संबंध में कोई विवाद हो, तो ऐसे विवाद पर निर्णय दिया जाना चाहिए।केवल तभी जब विधिक प्रतिनिधि का प्रश्न न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा ऐसे विधिक प्रतिनिधि को अभिलेख पर लाया जाता है, तो यह कहा जा सकता है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कि मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व किया जाता है।आदेश 22 नियम 5 के तहत विधिक प्रतिनिधि कौन है, इसका निर्धारण निश्चित रूप से उस मामले के निर्णय हेतु मृतक की संपत्ति के प्रतिनिधित्व के सीमित उद्देश्य हेतु होगा।इस तरह के सीमित उद्देश्य हेतु इस तरह के निर्धारण से विधिक प्रतिनिधि के रूप में रखे गए व्यक्ति को, संपत्ति का कोई अधिकार जो वाद का विषय है, मृतक की संपत्ति के अन्य प्रतिद्वंद्वी दावेदारों की तुलना में प्रदान नहीं होगा।

20. तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह अपील का निराकरण, अधिमानतः छह महीने की अवधि के भीतर करे।उपरोक्त किसी भी बात को मामले की खूबियों पर किसी राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि मृतक की संपत्ति के प्रतिनिधित्व के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा किया गया निर्धारण केवल उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के प्रयोजनों के लिए होगा और मृतक की संपत्ति के दावेदारों के अधिकारों या उनके बीच किसी भी स्वतंत्र कार्यवाही में किसी भी विवाद के निराकरण को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। दोनों पक्ष अपने–अपने खर्चों का वहन करेंगे।"

14. (2018) 18 एस. सी. सी. 485 में प्रतिवेदित सत्यानंद (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. यद्यपि हमें इस तथ्य की जानकारी है कि कथित कानूनी प्रतिनिधि कुछ रीति–रिवाजों पर भरोसा करते हुए यह साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कोई गृहस्थ संबंधित संप्रदाय के अंतर्गत गुरु हो सकता है। हमें इस स्तर पर निचली अदालत द्वारा दिए गए उपरोक्त निष्कर्षों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय की उपरोक्त रिपोर्ट पर विचार करना है और विवादित तथ्य के प्रश्न का निर्धारण करना है।यह ध्यान रखना सुसंगत होगा कि आदेश 22 नियम 5 सीपीसी के तहत निर्धारण संक्षिप्त प्रकृति का है और सीमित उद्देश्य के लिए है।पक्षकार आवेदन पर पारित आदेश, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति को विधिक प्रतिनिधि के रूप में निर्धारित किया गया है, अंतिम निर्णय नहीं है और न ही यह कानूनी प्रतिनिधियों के बीच इस प्रश्न पर पूर्व निर्णय के रूप में कार्य करता है कि गुरु के रूप में किसे आरोहण करना चाहिए। पुनरावृति से बचने के लिए, हम यह उल्लेख करते है कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारण इस प्रश्न तक सीमित होगा कि किसे गुरु के रूप में आरोहण करना चाहिए। मृतक के स्थान पर इसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए, केवल वाद को जारी रखने के उद्देश्य किसके प्रश्न पर प्रतिनिधि."

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस स्तर पर वसीयत की प्रामाणिकता या विधिवत निष्पादन पर विस्तृत निर्णय की आवश्यकता नहीं है।विचारण न्यायालय को यह निर्णय नहीं करना है कि जिन पक्षों के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई है, अंततः उनका संपत्ति पर अधिकार है या नहीं।केवल यही विचारणीय है कि क्या वसीयत मौजूद है और क्या उसके तहत दावेदारों को वाद की पैरवी या बचाव के प्रयोजनों के लिए मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

16. वर्तमान मामले में, आवेदकों ने वसीयत के आधार पर प्रतिस्थापन के लिए आदेश 22 नियम 5 सीपीसी के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया था।विचारण न्यायालय ने जांच की और वसीयत के गवाहों सहित दोनों पक्षों के साक्ष्य दर्ज किए।इसके बावजूद, विचारण न्यायालय प्रतिनिधित्व के सीमित प्रश्न पर किसी निर्णायक निष्कर्ष पर नहीं पहुंची और इसके बजाय यह माना कि वसीयत संदिग्ध और दोषपूर्ण थी, और इसलिए आवेदकों को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता था।विचारण न्यायालय का यह दृष्टिकोण कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है और सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी अधिकार के विपरीत है।

17. यह सर्वविदित है कि सीपीसी के आदेश 22 नियम 5 के तहत प्रतिस्थापन के चरण में, न्यायालय को वसीयत के अधिकारों, स्वामित्व या वैधता पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है।एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या ऐसी वसीयत मौजूद है तथा क्या इसके तहत दावा करने वाले व्यक्तियों को वाद जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है।विचारण न्यायालय ने वसीयत की जांच करते समय स्पष्ट रूप से गलत दिशा का सामना किया है, जिसमें खसरा नंबरों में विसंगतियां, और स्वामित्व संबंधी विवरण शामिल हैं, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 5 के तहत जांच के लिए अप्रासंगिक हैं। ऐसे मामलों का निराकरण केवल अंतिम सुनवाई में ही किया जा सकता है, न कि प्रतिस्थापन के प्रारंभिक चरण में।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. यह भी ध्यान देने योग्य है कि यदि अंततः वसीयत को अप्रवर्तनीय पाया भी जाता है, तो भी अभिलेख में शेष वादी मृतक केवलराम के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं और किसी भी मामले में उनकी संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने के हकदार होंगे।इस प्रकार, पूरे वाद को समाप्त करने का कोई आधार नहीं था।यह तर्क कि कुछ विधिक प्रतिनिधियों के उपस्थित होने पर भी वाद समाप्त नहीं होता, न्यायिक निर्णयों द्वारा पूरी तरह समर्थित है।विचारण न्यायालय ने आदेश 22 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत साक्ष्य दर्ज करने के बावजूद कोई तर्कसंगत निष्कर्ष न देकर गलती की। चुनौती दिया गया आदेश उन साक्ष्यों के मूल्यांकन पर पूरी तरह मौन है और विवेक का प्रयोग न करने का दोष सिद्ध करता है।यह क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि है और धारा 115 सीपीसी के तहत हस्तक्षेप की मांग करती है। विचारण न्यायालय यह विचार करने में भी विफल रही कि किसी वाद का समापन प्रक्रियात्मक है, न कि वास्तविक न्याय में बाधा।बर्खास्तगी का कठोर परिणाम अंतिम उपाय होना चाहिए, न कि स्वतः होने वाला परिणाम, विशेष रूप से जब प्रतिस्थापन के लिए आवेदन लंबित हो।

19. यह तर्क कि आवेदकों ने "स्वाभाविक कानूनी वारिसों" को पक्षकार नहीं बनाया, भी निराधार है। एक बार वसीयत पेश कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाती है, तो आदेश 22 नियम 3 या 5 के तहत आवश्यक शर्त पूरी हो जाती है, और उचित जांच के बाद मामले का निर्णय न्यायालय का होता है। अन्य लोगों को पक्षकार न बनाने से स्वतः ही वसीयत रद्द नहीं हो जाती, विशेषकर तब जब वसीयत के तहत प्रतिस्थापन की मांग की जा रही हो।उत्तरवादी का यह सुझाव कि आवेदकों के पास अनुपालन करने का अवसर था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, मान्य नहीं है।अभिलेख से पता चलता है कि आवेदकों ने अपने प्रतिस्थापन आवेदन को लगन से आगे बढ़ाया और अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए। विरोधाभासी निर्देशों का मात्र अस्तित्व विचारण न्यायालय द्वारा विधि के आधार पर जांच पूरी न करने को उचित नहीं ठहराता है।

20. उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, इस न्यायालय का यह मत है कि विचारण न्यायालय ने आदेश 22 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत लंबित और आंशिक रूप से संचालित जांच के बावजूद मुकदमे को समाप्त मानकर खारिज करने में कानून की गंभीर त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने वसीयत के गुण–दोष और निष्पादन का मूल्यांकन करके कानून का गलत प्रयोग किया है, जो इस स्तर पर जांच के दायरे से बाहर है।आवेदकों ने वसीयत के आधार पर प्रतिस्थापन का दावा किया है और वे प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए वे वाद को जारी रखने के लिए मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने की सीमा तक पक्षकार बनने के हकदार थे।

21. तदनुसार, सिविल पुनरीक्षण को स्वीकृति दि जाती है।दुर्ग के छठे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा सिविल सूट संख्या 65–ए/2014 में दिनांक 04.11.2022 को पारित आक्षेपित आदेश को एतद्द्वारा अपास्त कर दिया जाता है।

22.वाद को समाप्त करने का आदेश रद्द किया जाता है, और वाद अपने मूल रूप में बहाल किया जाता है। आवेदकों को मृतक वादी संख्या 1, केवलराम के स्थान पर मुकदमे की पैरवी करने के सीमित उद्देश्य से प्रतिस्थापित करने का निर्देश दिया जाता है।विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वाद की सुनवाई विधिवत रूप से करे और वसीयत या संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित यहां की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित न हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur